प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–10.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **07 वाहनों से मु0– 11,00 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–14व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09. 05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. इसराइल पुत्र रहमत अली नि0 रैकवार पुरवा मौजा बनगॉव थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–108/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध असलहे के शातिर अपराधी गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामबाबू गोस्वामी पुत्र सुबेदार निवासी कुमरौड़ा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01.   01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–109/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–191/18, धारा 394.411 भादवि थाना कटरबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–197/18, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 10.05.2019 को उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पीपल तिराहा पर अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना कटराबाजार में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता –

01. उ0नि0 राकेश कुमार ओझा।
02. का0 श्रवण कुमार।